न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पर्वतसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 14/2017

उनवान मुकदमा

1. श्रीमती मीठी पत्नी शंभू, जाति भील, उम्र वयस्क निवासी—गांव रघावा, तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती तोली पत्नी लक्ष्मण, जाति भील, उम्र वयस्क निवासी—गांव रघावा, तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती चम्पू पत्नी हडमा, जाति भील, उम्र वयस्क निवासी—गांव रघावा, तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. रावजी पिता जीवणा जाति भील, उम्र वयस्क निवासी—गांव रघावा, तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. लक्ष्मण पिता जीवणा, जाति भील, उम्र वयस्क निवासी—गांव रघावा, तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. दलपत पिता रावजी, जाति भील, उम्र वयस्क निवासी—गांव रघावा, तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. राजू पिता लक्ष्मण, जाति भील, उम्र वयस्क निवासी—गांव रघावा, तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. लालचन्द्र पिता गौतम, जाति भील, उम्र वयस्क निवासी—गांव रघावा, तेजपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. तहसीलदार तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण वकील : श्री अजीत सिंह

प्रतिवादीगण वकील : श्री अर्जुनाल मकवाना

निर्णय

दिनांक :—27.07.2021

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण ने अपने वाद में कथन किया कि वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य व खाते की कृषि भूमि वाके ग्राम रघावा पटवार हल्का तेजपुर तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित के खाता संख्या 136 नया 133 पुराना का खसरा नम्बर 1529 एवं खसरा नम्बर 1645/106/18 के कुल रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, खाता संख्या 118 नया 111 पुराना [illegible]06/38 का रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा एवं खाता संख्या 95 नया 88 पुरा[illegible] के [illegible]रा नम्बर 1647/106/37 रकबा 4 बीघा है। वादीगण ने [illegible]01.201[illegible] उक्त कृषि भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की है। [illegible] से वादीगण उपरो[illegible]तों पर कृषि

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

कार्य करते चले आ रहे है तथा लगान भी वादीगण की अदा कर रहे है। प्रतिवादगण 1 लगायत 5 का उक्त खेतों पर कोई हक, अधिकार अथवा आधिपत्य नहीं है। फिर भी वह वादीगण के आधिपत्य, स्वामित्व तथा खाते की कृषि भूमि पर वादीगण के आधिपत्य, स्वामित्व तथा खाते की कृषि भूमि पर वादीगण के शान्तिपूर्ण कृषि कार्य में रूकावट एवं बाधाएं उत्पन्न कर रहे है तथा जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे है तथा शान्तिपूर्वक कृषि नहीं करने देते है। वादीगण ने उक्त कृषि भूमि नियमानुसार क्रय की है तथा राजस्व रिकार्ड में भी नियमानुसार अमल–दरामद करवाया है तथा वादीगण के नाम नामान्तरकरण भी हो गया है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण ने बागड भी बनवाई है, जिसे प्रतिवादीगण तोडने की कोशिश कर रहे है। प्रतिवादीगण 1 से 5 वादीगण को कृषि कार्य करने में रूकावट उत्पन्न कर हैरान व परेशान कर वादीगण की उक्त कृषि भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा कर लेना चाहते है और वादीगण के खेतों को हड़पना चाहते है। प्रतिवादीगण 1 से लगायत 5 ने दिनांक 29.06.2017 को वादीगण के खाते एवं कब्जे के उक्त खेतों पर जबरन प्रवेश कर हस्तक्षेप किया तथा वादीगण द्वारा बोई हुई मक्का की फसल को नष्ट करने की कोशिश की। वादीगण द्वारा रोकने पर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 ने उनके साथ झगड़ा–फसाद किया व जान से मारने की धमकी दी। जिससे हमले व विवाद का कारण उत्पन्न हुआ तथा वाद अन्दर मियाद है। वादीगण सदभावी एवं वैध क्रेता होकर खातेदार कृषक है जबकि प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमि पर कोई हक–हकूक अथवा अधिकार नहीं है। फिर भी लगातार हस्तक्षेप की कोशिश कर रहे है और वादीगण को भारी क्षति पंहुचा रहे है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 वादीगण के स्वामित्व एवं खाते की उक्त कृषि भूमि पर जबरन कृषिकार्य कर कब्जा करना चाहते है और यदि उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा नहीं रोका गया तो प्रतिवादीगण उपरोक्त खेतों पर जबरन कब्जा कर लेंगे, जिससे होने वाली क्षति का मूल्यॉकन रूपयों में नहीं हो सकता एवं उक्त क्षति का कोई आर्थिक अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। वादीगण का वाद ठोस आधारों पर है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 उक्त कृषि भूमि को जबरन हड़प लेना चाहते है और यदि उन्हे हस्तक्षेप से नहीं रोका गया तो पक्षों के मध्य कार्यवाहियां बढ़ती ही जायेगी। इस कारण कार्यवाहियों के बाहुल्य को रोकने हेतु वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित एवं विधि सम्मत है।

वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को स्थाई रूप से पाबन्द किया जावें कि वह स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें और न ही खेतों में प्रवेश करें और न ही करावे। वादीगण को शान्तिपूर्ण कृषि कार्य में बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नहीं करें और वादीगण को शान्तिपूर्वक उक्त खेतों में खेती करने देवे। यदि प्रतिवादीगण वाद की कार्यवाही के दौरान उपरोक्त खेतों पर जबरन कब्जा कर लेवें तो धारा 209 राजस्थान काश्तकारी के अन्तर्गत वादीगण को तत्काल कब्जा दिलवाया जावें। वाद व्यय वं वकील फीस प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 से वादीगण को दिलवायी जाये।

वाद पत्र के साथ फर्द दस्तावेज में नक्शा, नक्शा टेस, नकल जमाबन्दी, खाता संख्या 193 नया, 87 पुराना की मूल रजिस्ट्री, खाता संख्या 87 नया 136 पुरानी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

मूल सत्यापित प्रति, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 31.01.12, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 31.01.12, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 31.01.12, आदि संलग्न प्रस्तुत किये।

दिनांक 19.02.2020 को प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 एवं उनके अधिवक्ता को आवाज लगाई गई। अधिवक्त वादी उपस्थित, अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपस्थित है। पत्रावली 2017 से चल रही है लेकिन अभी तक जवाब प्रस्तुत नही हुआ है। आज भी अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित नहीं आए है। पूर्व में ही काफी समय जवाब हेतु दिया जा चुका है। अब जवाब हेतू ओर अवसर दिया जाना मैं उचित नहीं समझता हूं। अधिवक्ता वादी का बार–बार यही कथन है कि जवाब बन्द किया जावे। अतः प्रतिवादीयों का जवाब बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी नियत की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 15.09.2020 को प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिसमें निवेदन किया कि उक्त प्रकरण जिरह हेतु नियत है। प्रतिवादी द्वारा वादी ने जो दस्तावेज विक्रय पत्र कुल 3 प्रस्तुत किये है उनकी नकले चाहने हेतु प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2020 को पेश की किन्तु उक्त दस्तावेजात फोटोकोपी होने से नकल प्राप्त नही हो सकी है। जिस कारण प्रकरण में जिरह संभव नही है। वादी उक्त दस्तावेजात की मूल प्रति सीपीसी के प्रावधानों के साथ प्रस्तुत करे जिसका जवाब प्रतिवादी प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अब दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये जा सकते है जिसके संबध में प्रतिवादी की आपत्ति है क्योंकि वादी के वादपत्र के साथ मूल दस्तावेजात पेश नही किये है जो वादी के विरूद्ध जाता है एवं वादी अब मूल दस्तावेजात पेश नही कर सकता है। न्यायहित में वादीगण का वादपत्र मूल दस्तोवजात के अभाव में मय खर्चे–हर्जे के निरस्त फरमावे।

दिनांक 19.11.2020 को प्रकरण में वादीगण न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम14 (3) सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादपत्र के साथ वादीगण द्वारा पंजीकृत दस्तावेजों की फोटो प्रति पेश की है आज साक्ष्य हेतु तारीख पेशी नियत है। वादीगण अपनी मुख्य परीक्षा में पंजीकृत दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहते है और इस कारण वह मूल दस्तावेज साथ लाये है, उनकी मूल प्रति एवं फोटो प्रति को नियमानुसार प्रदर्शित किये जाने की अनुमति दिया जावे। दिनांक 22.12.2020 को उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रकरण में वादी द्वारा मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये है। जिसे रेकार्ड पर लिये जाने आदेश दिया गया । पत्रावली जिरह साक्ष्यवादी नियत की गई।

दिनांक 06.01.2021 को दिनांक 04.03.2020 को श्रीमती मीठी, श्रीमती तोली, श्रीमती चम्पु एवं श्री रमेश द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों पर जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 से 7 डाले गये। वादी अधिवक्ता ने अपनी साक्ष्य पेश करना बन्द करने निवेदन किया गया। पत्रावली साक्ष्यप्रतिवादी नियत की जाकर साक्ष्यवादी बन्द के आदेश दिये गये।

दिनांक 15.04.2021 को साक्ष्य प्रतिवादी में रावजी पिता जीवणा, मेघजी पिता रूपा का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सीपीसी पेश किया पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। दिनांक 27.07.2021 को प्रतिवादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता को बार–बार आवाज लगाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Parvat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested

गई। प्रतिवादीगण अधिवक्ता व प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए। साक्ष्य प्रतिवादी का अवसर बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

दिनांक 27.07.2021 को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की अंतिम बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्त श्री अजीत सिंह ने अपने कथन में बताया कि प्रतिवादी जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। हमने भूमि खरीदी है। तथा नामान्तरकरण हमारे नाम है, राजस्व रेकार्ड में भी हमारा नाम है। हमारी भूमि में दखल न दे, फसल नष्ट न करे, हम काश्त से दखल न दे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अर्जुन मकवाना ने अपने कथन में बताया कि मेरा एडजोइनिग खाता नम्बर 1527 है। इस कारण से दोनों की सीमाओं को लेकर विवाद है। प्रतिवादी ने गांव के व्यक्ति की ही साक्ष्य करवाई है। वादीयों ने अपने बयान में साफ कथन किया है, की उनका विवाद नपती का है। न की हम भूमि में प्रवेश कर रहे है। वादीयों ने भूमि को खरीदा है। उन्हे पता नही है कि उनकी भूमि कहां है। सभी वादी ने माना है की वे उनकी भूमि पर काबिज है व हम हमारी भूमि पर। उन्हे झगडें की तारीख तक मालूम नहीं है की हमने झगड़ा कब किया। वस्तुतः हमने कोई झगड़ा किया ही नहीं था। मामला सिमा विवाद का है। ये अपना दावा प्रमाणित करने में विफल रहे है।

उभय पक्षकारी के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं वाद पत्र जवाब का गहन अध्ययन मनन किया तो पाया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि पास–पास में है। वादीगण को अपनी भूमि का सीमाज्ञान नही है। वे उनके खरीदी गई भूमि का राजस्व रेकार्ड अनुसार सम्बन्धित कार्यालय से सीमाज्ञान करा अनुतोष प्राप्त कर सकते है। गवाहो ने भी अपने बयान में नपती की रिपोर्ट वाद में प्रस्तुत नही होना बताया है। वादीगण द्वारा विवाद के कारण का साक्ष्य पेश करने में विफल रहे है एवं सीमाज्ञान नही होने से वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया अस्वीकार करने योग्य पाता हूं। अतः प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा नही दी जा सकती।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादीगण का वाद खारीज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27–07–2021 को सुनाया गया।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2021.08.06 17:46:11 IST
Reason: SelfAttested